न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 22/अपील/2025 (GCMS No. 2025/49)	05.05.2025	25.11.2025

1. मोतीलाल पुत्र स्व. गोपीलाल जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम कराड़ का बरधा, हाल निवास मिल की गली, बून्दी
2. जवाहरलाल पुत्र स्व. गोपीलाल जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम कराड़ का बरधा, हाल निवास चित्रगुप्त कॉलोनी कोटा
3. चेतराम पुत्र स्व. गोपीलाल जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम कराड़ का बरधा, हाल विष्णु विहार कॉलोनी बून्दी
4. जमना बाई पुत्री स्व.गोपीलाल पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम माटून्दा, तहसील एवं जिला बून्दी
5. संतोष बाई पुत्री स्व.गोपीलाल पत्नी रामप्रसाद जाति धाकड़,
   निवासी के.पाटन, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
6. माना बाई पत्नी स्व.गोपीलाल जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम कराड़ का बरधा, तहसील एवं जिला बून्दी
7. महावीर पुत्र स्व. हीरालाल जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम कराड़ का बरधा, तहसील एवं जिला बून्दी
8. आशा पुत्री स्व. हीरालाल पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड़,
   निवासी ग्राम कराड़ का बरधा, तहसील एवं जिला बून्दी
9. कविता पुत्री स्व. हीरालाल पत्नी देवेन्द्र जाति धाकड़,
   निवासी कोटा, जिला कोटा
10. कांती बाई पत्नी स्व. हीरालाल जाति धाकड़,
    निवासी ग्राम कराड़ का बरधा, तहसील एवं जिला बून्दी

– अपीलान्टस

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांटस की ओर से श्री राजकुमार गोयल, एडवोकेट।
रेस्पोडेंट की ओर से पेरोकार सरकार।

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 3293 दिनांक 06.03.2017 ग्राम छत्रपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार गोपीलाल एवं उसके पुत्र हीरालाल के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 22/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2025/49 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खसरा संख्या 2411/923 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम छत्रपुरा, तहसील बून्दी में विस्थित है। उक्त भूमि में खातेदार गोपीलाल वल्द बाला जाति धाकड़ निवासी कराड़ का बरधा का नाम राजस्व रेकार्ड में 1/4 हिस्सा निहित है। खातेदार गोपीलाल एवं उनके एक पुत्र हीरालाल का देहान्त हो चुका है। गोपीलाल जी के देहान्त के उपरान्त उनके वारिसान के मध्य फौती इन्तकाल तहसीलदार बून्दी द्वारा आदेश दिनांक 13.01.2017 की पालना में नामान्तरकरण सं. 3293 दिनांक 06.03.2017 को दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इंतकाल संख्या 3293 के दर्ज करने के दौरान त्रुटिवश मृतक खातेदार के पुत्र, पुत्री व पत्नी अपीलांट सं.1 लगायत 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/28 दर्ज किया गया जबकि खातेदार के मृतक पुत्र हीरालाल के वारिसान अपीलांट सं. 7 लगायत 10 का हिस्सा 6/28 दर्ज कर दिया गया। वास्तव में इंतकाल में अपीलांट सं. 7 लगायत 10 का हिस्सा भी संयुक्त रूप से 1/28 ही बनता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिवश खातेदार गोपीलाल के वारिसान के नामान्तरकरण में गलत रूप से हिस्सा दर्ज किया गया है, इस कारण उक्त नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर सही रूप से वारिसान के नाम हिस्सा दर्ज किया जाना न्यायाहित में आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त नामान्तरकरण की प्रथम बार मार्च, 2025 में नकल लिये जाने पर जानकारी हुयी। अधीनस्थ न्यायालय की गलती को दुरूस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये जाने से यह अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। फिर भी देरी को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलांट का हिस्सा दुरूस्त करवाये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलेक्टर, बून्दी

पेरोकार सरकार द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से प्रभावित सभी पक्षकार अपील में अंकित तथ्यों से सहमत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की जा सकती है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 06.03.2017 की जानकारी मार्च,2025 में नकल लेने पर होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि आराजी खसरा संख्या 151 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम छत्रपुरा का खातेदार गोपीलाल वल्द बाला कौम धाकड़ हिस्सा 1/4 था। खातेदार गोपीलाल के एक पुत्र हीरालाल का देहान्त हो चुका है। खातेदार गोपीलाल के देहान्त के बाद फोती नामान्तरकरण सं. 3293 उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि फोती नामान्तरकरण में मृतक खातेदार के पुत्र, पुत्री व पत्नी अपीलांट सं.1 लगायत 6 का प्रत्येक का हिस्सा 1/28 दर्ज किया गया जबकि खातेदार के मृतक पुत्र हीरालाल के वारिसान अपीलांट सं. 7 लगायत 10 का हिस्सा 6/28 दर्ज कर दिया गया। वास्तव में इंतकाल में अपीलांट सं. 7 लगायत 10 का हिस्सा भी संयुक्त रूप से 1/28 ही बनता है, इस कारण अपीलाधीन नामानतरकरण त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण एवं उसके संलग्न सजरे का अवलोकन किये जाने पर प्रकट है कि खातेदार गोपीलाल के 04 पुत्र, 02 पुत्रियां एवं एक पत्नी वारिस रहे है। इसमें से एक पुत्र हीरालाल का फोत होना अंकित है जिसके 01 पुत्र, 02 पुत्रियां एवं बेवा वारिस मौजूद है। इस प्रकार हीरालाल सहित खातेदार गोपीलाल के वारिसान का हिस्सा 1/28 निहित है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में मृतक खातेदार के मृतक पुत्र हीरालाल के वारिसान का हिस्सा 6/28 दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया दोषपूर्ण प्रकट होता है। अतः न्यायहित में अपील

अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 3293 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बून्दी को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर मृतक खातेदार गोपीलाल के सभी विधिक वारिसान की जांच कर, उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, नये सिरे से आदेश पारित कर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले मे शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी